प्रेस विज्ञप्ति
03.09.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स अक्षता मिनरल्स एवं अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 02.09.2026 को दिनांकित एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी करते हुए 2.10 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की आवासीय भूखंडों के रूप में स्थित अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।

ईडी द्वारा जांच की शुरुआत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में अक्टूबर 2013 में सीबीआई द्वारा बेलेकेरी बंदरगाह से लौह अयस्क के अवैध खनन और निर्यात के संबंध में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई थी।

जांच में पता चला कि मेसर्स एसवीके मिनरल्स, एक साझेदारी फर्म, लौह अयस्क के व्यापार में संलिप्त थी। 01.01.2009 से 31.05.2010 की अवधि के दौरान, फर्म ने अवैध रूप से प्राप्त लौह अयस्क की विभिन्न संस्थाओं को आपूर्ति की। जांच में यह स्थापित हुआ कि मेसर्स भारत ओर्स एंड मिनरल्स के माध्यम से और अंततः मेसर्स एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड को आपूर्ति किए गए 48,471 मीट्रिक टन लौह अयस्क के संबंध में वैध डीएमजी/बल्क/ट्रांजिट परमिट उपलब्ध नहीं थे। यह भी स्थापित हुआ कि मेसर्स एसवीके मिनरल्स ने मेसर्स अरशद एक्सपोर्ट्स को कुल 56,081.43 मीट्रिक टन अवैध रूप से उत्खनित लौह अयस्क की आपूर्ति की, जिसे आगे मेसर्स अरशद एक्सपोर्ट्स द्वारा चीन को निर्यात किया गया।

जांच में आगे पता चला कि अवैध लौह अयस्क व्यापारिक गतिविधियों से अर्जित लाभ का एक हिस्सा एसवीके मिनरल्स के साझेदारों द्वारा अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में इस्तेमाल किया गया। तदनुसार, ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के तहत श्यामराज सिंह और बी.एस. नंदकुमार सिंह के नाम पर धारित चार अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया।

आगे की जांच जारी है।